यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ सस्टेन्ट क मश्नर (क.नि.) खण्ड **II** वा णज्य कर ऋ षकेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अ सस्टेन्ट क मश्नर (क.नि.) खण्ड **II** वा णज्य कर ऋ षकेश के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री बृज भूषण म ण त्रिपाठी एवं श्री प्रवीण कुमार सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों एवं श्री एफ आर खान व0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.11.2017 से 17.11.17 तक श्री हिमांशु म ण लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री नि खल गोस्वामी वरि0 लेखापरीक्षक श्री अनुप कुमार गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 09.01.2017 से 16.01.2017 तक तक श्री - लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः ऋ षकेश, नरेन्द्र नगर, तहसील टि.ग, ट्रेडर्स

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	1070.95
2015-16	1377.96
2016-17	1858.44

(II) (ब) बजट का ववरण:-

वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
शून्य								

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन इकाई के पास आहरण एवं सं वतरण अ धकार नहीं है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

आयुक्त कर- अपर आयुक्त वा णज्य कर- ज्वाइन्ट क म. (कार्य.) वा णज्य कर- डप्टी क मश्नर- अ सस्टेन्ट क मश्नर- वा णज्य कर

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में अ सस्टेन्ट क मश्नर (क.नि.) खण्ड **II** वा णज्य कर ऋ षकेश को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ सस्टेन्ट क मश्नर (क.नि.) खण्ड **II** वा णज्य कर ऋ षकेश की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:**

राजस्वः 03/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया।

व्ययः इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (क)

प्रस्तर-1 **TDS** की धनरा श वलम्ब से जमा कये जाने के बावजूद भी अर्थदण्ड आरो पत न कया जाना `57.96 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 35(4) के अनुसार जिस माह में TDS की धनरा श की कटौती की जाये उसके अगले माह के अन्त तक शासकीय कोष में जमा करना चाहिये।

पुनः धारा 35(8) के अनुसार यदि TDS की धनरा श वलम्ब से जमा की जानी है तो TDS का दोगुना तक अर्थदण्ड आरोपणीय है।

कार्यालय अ सस्टेन्ट क मश्नर (क.नि.) खण्ड II वा णज्य कर ऋ षकेश की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया क व्यापारी AIIMS ऋ षकेश क.नि. वर्ष 2012-13 द्वारा दिनांक 30.06.2012 को TDS की धनरा श `2898163/- की कटौती की गयी जिसे दिनांक 25.08.2012 को वलम्ब से जमा दिया गया था।

अतः उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 35(8) के अनुसार TDS की धनरा श `2898163/- का दोगुना `5796326/- अर्थदण्ड आरोपणीय था, जिसे आरो पत नहीं कया गया।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है क IVth क्वार्टर में `2174925 एवं `1628929/- TDS जमा का ववरण ववरणी में उल्लेख नहीं कया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा उ चत कार्यावही कर अवगत कराने का आश्वासन दिया है एवं IVth क्वार्टर के TDS की धनरा श के ववरण को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। जिसकी लेखा परीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 01- आई.टी.सी. रिवर्स न कये जाने से राजस्व क्षति `1.46 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम 2005 के धारा 6(2) के प्रावधानों के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लये पंजीकृत व्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनरा श होगी जो कर अव ध के दौरान ऐसे प्रयोजन हेतु और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी क इस धारा में वनिर्दिष्ट है, कये गये क्रय धन पर पंजीकृत व्यौहारी द्वारा वक्रेता व्यौहारी को भुगतान कया गया है, और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसी की वहित की जाये।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.) खण्ड ॥ वा णज्य कर, ऋ षकेश के अ भलेखों के नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क व्यौहारी सर्वश्री संजय सेल्स क.नि. वर्ष 2013-14 में प्रांतीय खरीद पर कुल 20,34,289/- का आई.टी.सी. का लाभ कर निर्धारण अ धकारी द्वारा दिया गया था व्यापारी के ट्रे डंग एकाउण्ट एवं ववरण के जाँच में पाया गया क व्यापारिक खरीद पर `10,83,848/- का कैश डस्काउण्ट दिया गया था जिस पर व्यापारी द्वारा `1,46,319(1083848x 13.5%) कर लया गया आई.टी.सी. रिवर्स योग्य था जो क कर निर्धारण अ धकारी द्वारा रिवर्स नहीं कया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क कार्यावही कर अवगत कराया जायेगा।

प्रकरण उच्चा धकारी के संज्ञा में लाया गया।

भाग-2 (ख)

प्रस्तर 02- अ धक वसूल कये गये कर को जब्त न कये जाने से राजस्व क्षति `0.97 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 40(2) के प्रावधानों के अनुसार उपधारा (1) के अधीन कसी व्यौहारी द्वारा जमा की गई कोई धनरा श उस मात्रा तक जहाँ तक वह कर के रूप में दिय न हो, राज्य सरकार द्वारा उस व्यक्ति को, जिससे व्यौहारी ने वसूल कया हो अथवा उस व्यक्ति के व धक प्रतिनि ध की धरोहर के रूप में रखी जायेगी, और इस प्रकार जमा करने से ऐसा व्यौहारी जमा धनरा श की मात्रा तक तटसंबंधी दायित्व से उन्मुक्त होगा।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.) खण्ड- ॥ वा णज्य कर, ऋ षकेश के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री कपरूवान फर्नीचर एण्ड टिम्बर क.नि. वर्ष 2013-14 में टिम्बर की कुल बिक्री `6,49,561/- का कया गया था। जिस पर कर निर्धारण अ धकारी द्वारा अनुसूची ॥। से अच्छादित होने के कारण 0 प्रतिशत से कर आरो पत कया गया था। ले कन पत्रावली में वा र्षक ववरण एवं ट्रे डंग एकाउण्ट के जाँच में पाया गया क व्यापारी द्वारा उपरोक्त वस्तु की बिक्री पर 15 प्रतिशत की दर से `97,434/- का कर लया गया था। उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 40(2) के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा अ धक वसूल कया गया कर `97,434 को जब्त कया जाना चाहिए था जो क कर निर्धारण अ धकारी द्वारा नहीं कया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

प्रकरण उच्चा धकारी के संज्ञान में लाया गया।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 03- अर्थदण्ड का अनारोपण `0.48 लाख।

कार्यालय अ सस्टेन्ट क मश्नर (क.नि.) खण्ड ॥ वा णज्य कर ऋ षकेश के अ भलेखों की नमूना जाँच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री ऋ ष ट्रे डंग कम्पनी द्वारा क.नि. वर्ष 2015-16 द्वारा प्रान्त के अन्दर से ग्रेनाइट टाईल्स, स्लैब पत्थर आदि की `493444.50/- की खरीद स्वीकार की गई एवं उक्त खरीद के वरूध `66615 का आई.टी.सी. क्लेम कया गया था। व्यापारी द्वारा दा खल प्रान्तीय खरीद सूची में अं कत सर्वश्री देव ट्रे डंग कम्पनी से की गई खरीद `117631.50 के वरूध `15880.25 आई.टी.सी. का सत्यापन न होने के कारण अस्वीकार कया गया।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम की धारा 58(1)(XI) के अनुसार गलत आई.टी.सी. दावा कये जाने पर 3 गुना अर्थदण्ड आरो पत कया जाना था परन्तु अर्थदण्ड `47640 नहीं लगाया गया।

उक्त के सम्बन्ध में वभाग को इं गत करने पर वभाग द्वारा कहा गया क उ चत कार्यवाही कर अवगत कराया जायेगा।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2 (ख)

प्रस्तर 04- अर्थदण्ड का अनारोपण `0.32 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 58(1)(vii) के प्रावधानों के अनुसार युक्ति-युक्त कारण के बिना अ धनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं कया गया है तो देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.) खण्ड-II वा णज्य कर, ऋ षकेश के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री वैभव ट्रेडर्स क.नि. वर्ष 2013-14 में प्रथम त्रैमास का स्वीकृत कर `68,667/- बिना कसी युक्ति- युक्त कारण के वलम्ब से जमा कया गया था। तथा वर्ष 2013-14 में टर्न ओवर 50 लाख से अ धक होने के कारण वर्ष 2014-15 में मा सक कर जमा कया जाना था। ले कन व्यापारी द्वारा क.नि. वर्ष 2014-15 में प्रथम त्रैमास तथा द्वीतीय त्रैमास क्रमशः `99,870/- एवं `94,230/- का स्वीकृत कर वलम्ब से जमा कया गया था। तथा दिसम्बर 2014 का स्वीकृत कर `64,175/- भी वलम्ब से जमा कया गया था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा 2013-14 एवं 2014-15 में कुल स्वीकृत कर `3,26,942/- का वलम्ब से जमा कये जाने पर उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 58(1)(vii) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त सभी पर कम से कम 10% की दर से `32,694/- का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क उ चत कार्यवाही से अवगत करा दिया जायेगा।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया गया।

STAN

प्रस्तर-**1** चालान का सत्यापन न हो पाना `7.51 लाख।

कार्यालय के 03/2017 के DCR की जांच में पाया गया क निम्न ल खत प्र वष्टियों का कोषागार के CTR सत्यापन नहीं हो सका।

क्र.स.	व्यापारी का नाम	चालान ति थ	धनरा श
1.	M/S Hotel damini	15.03.17	2900
2.	M/S Sanskriti health spa	10.03.17	20401
3.	M/S Hotel Raj Palace	04.03.17	1958
4.	Sabbal Singh	09.03.17	500
5.	M/S Tapovan Vatika	08.03.17	5283
6.	M/S Hotel Uppal Plaza	03.03.17	276
7.	M/S Gayatri Resorts	02.03.17	9250
8.	M/S Sanskriti health spa	10.03.17	142332
9.	Sabbal Singh	09.03.17	5000
10.	Sabbal Singh	09.03.17	5000
11.	Sabbal Singh	09.03.17	5000
12.	Sabbal Singh	09.03.17	5000
13.	Sabbal Singh	09.03.17	5000
14.	Sabbal Singh	09.03.17	5000
15.	Sabbal Singh	09.03.17	5000
16.	Sabbal Singh	09.03.17	5000
17.	Sabbal Singh	09.03.17	5000

18.	Sabbal Singh	09.03.17	5000
19.	M/S Snow leopard adventure private ltd.	04.03.17	2460
20.	M/S Kandari filling station	17.03.17	2400
21.	M/S Rajendra Singh devendra singh Bhandari	04.03.17	2048
22.	M/S Ganga Construction	06.03.17	58879
23.	M/S Rabbin filling station	27.03.17	100000
24.	M/S Narayana	03.03.17	27338
25.	M/S Shaied Sundar	04.03.17	20700
26.	M/S Deep traders	15.03.17	19200
27.	M/S The divine life Society	22.03.17	11412
28.	M/S Hotel Rajdeep	04.03.17	7977
29.	M/S Neemrana Hotels Pvt. Ltd.	04.03.17	265887
		Total	7,51,201

उक्त को इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा अवगत कराया गया क कोषागार से मलान करवाकर अवगत कराया जायेगा।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
CT-19/2007-08	-	06
CT-19/2009-10	-	01,02,03
CT-15/2014-15	-	01
CT-32/2016-17	-	-

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ सस्टेन्ट क मश्नर (क.नि.) खण्ड **II** वा णज्य कर ऋ षकेश तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती पल्लवी चुफाल	अ सस्टेन्ट क मश्नर
(ii)	श्री राम लाल	वा णज्य कर अ धकारी

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ सस्टेन्ट क मश्नर (क.नि.) खण्ड **II** वा णज्य कर ऋ षकेश को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र